

कार्यालय
सम्भागीय उप निदेशक (प्रशा0/विप0)
राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद, उ0प्र0
नवीन मंडी स्थल महेवा चुंगी, गोरखपुर ।
फोन/फैक्स नम्बर-0551-2321228

पत्रांक:-प्र0ओ0/निविदा/2026-96

दिनांक : 15/5/26

ई-निविदा विज्ञापित (गेहूँ कय केन्द्र हैण्डलिंग कार्य हेतु)

शासनादेश संख्या-112/29-5-2026 (ई0-2000859) दिनांक 24-03-2026 एवं परिषद पत्रांक 868 दिनांक 28.03.2026 के अनुपालन में गोरखपुर संभाग के जनपद कुशीनगर में रबी विपणन वर्ष 2026-27 के अन्तर्गत एफ0पी0ओ0/एफ0पी0सी0 के स्वीकृत गेहूँ कय केन्द्रो पर हैण्डलिंग कार्य हेतु ई-टेंडरिंग के माध्यम से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। कय केन्द्रो का विवरण निम्नवत है-

जनपद-कुशीनगर में (एफ0पी0ओ0/एफ0पी0सी0 के जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत कय केन्द्र का नाम)
1- में0 सोरपथ भूमि फार्म प्रो0क0लि0, हॉट पैठ कसया।

उक्त गेहूँ कय केन्द्र पर हैण्डलिंग कार्य हेतु खाद्य विभाग में पंजीकृत अनुभवी व्यक्तियों/फर्मों से ई-टेंडर के माध्यम से निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। हैण्डलिंग कार्य हेतु निविदा की दरें भारत सरकार की कास्टशीट से 10 प्रतिशत कम से और अधिक कम की दरें अव्यवहारिक होने के कारण स्वीकार्य नहीं होंगी। हैण्डलिंग कार्य हेतु निविदायें पृथक-पृथक केन्द्रवार प्राप्त की जायेगी। हैण्डलिंग कार्य हेतु निर्धारित निविदा प्रपत्र, मूल्य, धरोहर धनराशि/निविदा की शर्तें, निविदा खुलने की तिथि एवं अन्य सम्बन्धित जानकारी <http://etender.up.nic.in> से डाउनलोड की जा सकती है। हैण्डलिंग कार्य हेतु फर्म के खाते से निविदा प्रपत्र शुल्क रू0 500+90 (G.S.T) कुल रू0 590.00 (रूपये पांच सौ नब्बे) एवं प्रत्येक निविदा के साथ हैण्डलिंग कार्य के लिए धरोहर धनराशि रू0 12000.00 (रूपये बारह हजार मात्र) जो संभागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, गोरखपुर स्टेट बैंक शाखा-फल मण्डी महेवा, गोरखपुर खाता संख्या-30386923389 आई0एफ0सी0 कोड-SBIN0015118 में आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से जमा की जायेगी। नकद तथा चेक के एवं अन्य किसी दूसरे के खाते के माध्यम से जमा धनराशि मान्य नहीं होगी तथा बिना धरोहर धनराशि एवं निविदा शुल्क के किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। प्रत्येक कय केन्द्र हेतु निविदा के साथ पृथक-पृथक निविदा शुल्क व धरोहर धनराशि के रिसीट की "स्कैण्ड कॉपी" ऑनलाइन निविदा प्रपत्र के साथ निविदादाता द्वारा अपलोड की जायेगी। निविदा के सभी प्रपत्रों पर निविदादाता के हस्ताक्षर तथा सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए। निविदा सम्बन्धित प्रपत्रों को पी0डी0एफ0 फार्म में स्कैन कर पठनीय प्रति ही अपलोड की जाये, अपठनीय, कटिंग/ओवरराइटिंग युक्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

निविदा प्रपत्र ऑनलाइन वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर दिनांक 05-06-26 को अपरान्ह 12:00 बजे तक अपलोड की जा सकेगी है। टेक्निकल बिड दिनांक 05-6-26 को अपरान्ह 01:00 बजे तदर्थ गठित ई-निविदा समिति के द्वारा आनलाइन खोली जायेगी। टेक्निकल बिड के प्रपत्रों की जांचोपरान्त इसमें अर्ह निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोलकर अग्रतर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

निविदा को बिना कोई कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार सम्भागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन), मण्डी परिषद गोरखपुर के पास सुरक्षित होगा।

निविदा की किसी भी शर्त में परिवर्तन तथा शुद्धि पत्र आदि की सूचना केवल ई-टेंडर वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध होंगे।

(अशोक कुमार)

उप निदेशक(प्रशा0/विप0)

मण्डी परिषद, गोरखपुर।

पृष्ठांकन/संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर ।
2. निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।
3. जिलाधिकारी, कुशीनगर के कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चरपा करने हेतु।
4. संभागीय खाद्य नियंत्रक, गोरखपुर सम्भाग गोरखपुर के कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चरपा करने हेतु ।
5. समस्त सदस्य, निविदा समिति, गोरखपुर संभाग, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ कि निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर निविदा की कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें ।
6. समस्त जिला खाद्य विपणन अधिकारी, गोरखपुर संभाग, गोरखपुर कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चरपा करने हेतु ।
7. समस्त सचिव गोरखपुर सम्भाग गोरखपुर को इस निर्देश के साथ कि वह उक्त सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु सभी केन्द्र प्रभारियों तथा पंजीकृत ठेकेदारों को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
8. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चरपा हेतु ।

Digitally signed by
Ashok Kumar
Date: 15-05-2026
13:38:50

उप निदेशक(प्रशा0/विप0)

रबी विपणन वर्ष 2026-27 हेतु हैण्डलिंग कार्य हेतु आमंत्रित ई निविदा के तकनीकी परीक्षण हेतु चेक लिस्ट

क्रमांक	चेक प्वाइन्ट
1	यूपीएलसी0 में पंजीकरण का प्रमाण पत्र संलग्न है अथवा नहीं।
2	निविदा मूल्य जमा करने की रसीद है क्य केन्द्रवार पृथक-पृथक है अथवा नहीं।
3	निविदा दस्तावेज एवं अन्य प्रपत्र हस्ताक्षर युक्त है अथवा नहीं।
4	निविदादाता का बैंक का खाता (नाम, पता, खाता सं०, आईएफ0सी0 कोड) इत्यादि है अथवा नहीं।
5	धरोहर धनराशि क्य केन्द्रवार जमा है कि नहीं।
6	सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न है अथवा नहीं। (फर्म का पार्टनरशिप/कम्पनी होने की दशा में फर्म का हैसियत प्रमाण पत्र मान्य होगा)
7	सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत समस्त भागीदारों के चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न है अथवा नहीं।
8	समस्त भागीदारों के आधार कार्ड की प्रति संलग्न है अथवा नहीं।
9	विगत 05 वर्षों में से किसी भी 03 वर्ष का प्रत्येक वर्ष 05 लाख का खाद्य विभाग, सहयोगी एजेन्सी, सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग, सहकारी, केन्द्र व राज्य के निगम का कार्य अनुभव अथवा विगत 05 वर्षों का औसत मिलाकर रू० 30 लाख का कार्य अनुभव। भागीदारी फर्म की स्थिति में समस्त भागीदारों का संयुक्त अनुभव संलग्न है अथवा नहीं। (यहां स्पष्ट करना है कि कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के स्थान पर किसी भी संस्था का भुगतान प्रमाण पत्र संलग्न करने पर तकनीकी बिड मान्य नहीं होगा। फर्म द्वारा कार्य अनुभव प्रमाण पत्र ही संलग्न करना करना होगा।)
10	टेण्डर की शर्तों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत विगत 03 वर्षों के आयकर रिटर्न आदि की प्रति निविदा के साथ संलग्न है अथवा नहीं।
11	टेण्डर की शर्तों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत विगत 03 वर्षों की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एण्ड लॉस एकाउन्ट एवं शिड्यूल है कि नहीं।
12	पैन नम्बर की प्रति संलग्न है अथवा नहीं (भागीदारी फर्म होने की दशा में भागीदारों एवं फर्म का पैन देना अनिवार्य है तथा कम्पनी की दशा में कम्पनी का पैन देना अनिवार्य है।)
13	जी0एसटी0 प्रमाण-पत्र संलग्न है अथवा नहीं।
14	रू० 10/- स्टैम्प पर निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र है अथवा नहीं।
15	टेण्डर की शर्तों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ई0एस0ई0 प्रमाण पत्र की संख्या एवं निर्गमन दिनांक है कि नहीं।
16	टेण्डर की शर्तों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ई0पी0एफ0 प्रमाण पत्र की संख्या एवं निर्गमन दिनांक है कि नहीं।


अन्य निर्देश एवं शर्तः-

सिंगल स्टेज परिवहन कार्य/अन्य परिवहन एवं हैण्डलिंग कार्यो हेतु निर्गत निविदा सूचना से सम्बन्धित अन्य निर्देश एवं शर्त —

1. प्रत्येक निविदा का शुल्क प्रचलित शासनादेशानुसार होगा तथा टेण्डर डालने हेतु उत्तर प्रदेश शासन के ई-टेण्डर पोर्टल <https://etender.up.nic.in> का उपयोग करना होगा।
2. खाद्य तथा रसद विभाग के गोरखपुर संभाग गोरखपुर में पंजीकृत व्यक्तियों/फर्मों द्वारा ही ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया में भाग लिया जा सकता है। निविदा की शर्तें एवं निविदा प्रपत्र एन0आई0सी0 की बेवसाइट <https://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध है। हैण्डलिंग कार्य के लिए निविदा के साथ धरोहर धनराशि रु0 12000-00 (बारह हजार मात्र) प्रति केन्द्र उप निदेशक (प्रशा0/विप0), मण्डी परिषद, गोरखपुर के खाता संख्या-संख्या-30386923389 आई0एफ0सी0 कोड-SBIN0015118 स्टेट बैंक शाखा-फल मण्डी महेंवा, गोरखपुर में जमा करना अनिवार्य है। धरोहर धनराशि एवं निविदा फीस सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा प्रत्येक क़य केन्द्र हेतु पृथक-पृथक अपने-अपने फर्म के खाते से ही जमा किया जायेगा, अन्य खाते से जमा किया गया निविदा फीस एवं धरोहर धनराशि मान्य नहीं होगा। बिना धरोहर धनराशि के निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। जमा की गयी धरोहर धनराशि की स्कैण्ड प्रति ऑनलाइन निविदा प्रपत्र के साथ निविदादाता द्वारा अपलोड की जायेगी।
3. विभागीय कार्यो हेतु विभाग में शासनादेश संख्या-380/29-6-2024-/ई-6099/2641/2020 दिनांक 26.02.2024 द्वारा निर्गत प्राविधानों के अन्तर्गत पंजीकृत हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदार ही, जो निर्धारित अर्हता की शर्तों को पूर्ण करेंगे ई-टेण्डरिंग में प्रतिभाग कर सकेंगे। ई-टेण्डरिंग में प्रतिभाग करने हेतु उन्हें यू0पी0एल0सी0 में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
4. प्रत्येक परिवहन ठेकेदार को अपने वाहनों में जी0पी0एस0 सिस्टम लगवाना अनिवार्य होगा। इस मद में आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति ठेकेदार के बिल से समायोजित करते हुये, सेवा प्रदाता को की जायेगी।
5. अपूर्ण भरे होने एवं बिना डिजिटल सिग्नेचर की प्राप्त निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।
6. निविदा में निविदादाताओं द्वारा किसी प्रकार की कन्डीशन (शर्त) का उल्लेख किया जाना वर्जित है।
7. निर्धारित तिथि व समय के बाद प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
8. संभागीय उप निदेशक (प्रशा/विप0), को बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।
9. निविदादाता को क़य केन्द्रवार अलग-अलग निविदा देनी होगी। एक निविदा फार्म पर एक से अधिक क़य केन्द्र के कार्य के लिए निविदा मान्य नहीं होगी और वह अस्वीकृत कर दी जायेगी।
10. निविदा स्वीकृत होने पर सम्बन्धित निविदादाता को निर्धारित प्रतिभूति धनराशि नियमानुसार प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा न करने पर ठेका निरस्त करते हुए निविदा की धरोहर धनराशि शासन के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।
11. निविदा प्रपत्र के साथ प्रचलित शासनादेशानुसार निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष अधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत हैसियत प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। फर्म का पार्टनरशिप/कम्पनी होने की दशा में फर्म का हैसियत प्रमाण पत्र मान्य होगा।
12. निविदा प्रपत्र के साथ प्रचलित शासनादेशानुसार निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष अधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्य प्रदेश के निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत चरित्र प्रमाण-पत्र, उस प्रदेश के समक्ष प्राधिकारी के स्तर से निर्गत किया जाना अनिवार्य होगा।

13. माफिया गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी, नाबालिग एवं बार बाउन्सिल में रजिस्टर्ड अधिवक्ता, एफ0पी0ओ0/एफ0पी0सी0 टेण्डर प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगे। खाद्य विभाग में चीनी का आढतियां/थोक व्यवसायी, चावल मिलर्स/फ्लोर मिलर्स/अर्ध सरकारी संस्था का कर्मचारी/अधिकारी खाद्यान्न, अर्ह नहीं होंगे। यदि किसी व्यक्ति/फर्म/संस्था को ठेका दिये जाने के बाद भी संज्ञान में आता है तथा सम्बन्धित ठेकेदार/व्यक्ति उपरोक्त प्रतिबन्धित श्रेणी के अन्तर्गत आता है तथा वास्तविक तथ्यों को छुपाकर टेण्डर लिया है, तो उसका ठेका निरस्त कर उसका नाम काली सूची में डालते हुए वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
14. यदि हैण्डलिंग/परिवहन ठेकेदार द्वारा कार्य निष्पादन के दौरान उसके किसी किसी ट्रक के डाइवर्जन/कालाबाजारी का प्रकरण पाया जाता है, तो उसका ठेका/अनुबन्ध तत्काल निलम्बित करते हुए ठेकेदार के विरुद्ध अपराधिक मामला दर्ज कराकर अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी एवं उसके अनुबन्ध निरस्तीकरण एवं ब्लैक लिस्टिंग की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
15. यदि कोई ठेकेदार अथवा निविदादाता किसी अन्य निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित होने से रोकता या डराता/धमकाता है, तो दोषी ठेकेदार/निविदादाता की निविदा/आवंटित कार्य तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
16. हैण्डलिंग/परिवहन ठेकेदार द्वारा विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यहार, अपराध मारपीट, अथवा धमकी देने के आधार पर ठेकेदार का अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।
17. जनपद के अन्दर संचरण के साथ-साथ रैक लोडिंग तथा अर्न्तजनपदीय संचरण हेतु सड़क परिवहन के दौरान अनुमन्य सीमा से अधिक लोडिंग के लिए परिवहन ठेकेदार उत्तरदायी होगा।
18. अनुबन्ध पत्र पर नियमानुसार देय स्टैम्प ड्यूटी ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन की जायेगी।
19. प्रत्येक निविदादाता द्वारा सी0वी0सी0 गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
20. कार्य एवं मात्रता की शर्तों के दृष्टिगत 'ए' एवं 'बी' श्रेणी के ठेकेदार होंगे, जिनके द्वारा शर्तों में उल्लिखित कार्यों के अनुसार कार्य करने होंगे। प्रत्येक कार्य हेतु अलग-अलग टेण्डर प्रकाशित किये जायेगे।
21. ठेकेदार को उनके द्वारा किये गये कार्य के अनुसार प्रचलित शासनादेशों एवं दरों के अनुसार भुगतान किया जायेगा।
22. ई-टेण्डर प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न कार्यवाही यथा ई-रजिस्ट्रेशन, ई-कोडिंग, टेण्डर क्रियेशन, टेण्डर प्रकाशन, टेण्डर परचेज, टेण्डर सबमिशन, बिड ओपनिंग, नियुक्ति/निर्णय आदि कार्य इलेक्ट्रॉनिकली किये जायेंगे। इस निमित्त टेण्डर फार्म के साथ शपथ-पत्र का प्रारूप, टेण्डर की शर्तें व अन्य संगत प्रपत्र, विभाग द्वारा अपलोड कर इलेक्ट्रॉनिकली उपलब्ध कराया जायेगा। टेण्डर प्रपत्र शुल्क, धरोहर धनराशि आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0/ऑनलाइन जमा करने हेतु बैंक का नाम, पता एवं एकाउण्ट नम्बर, आई0एफ0एस0ई0 कोड आदि विभाग द्वारा टेण्डर प्रपत्र पर ही उपलब्ध कराया जायेगा। टेण्डर खुलने, बन्द होने की तिथि व समय निविदा विज्ञापित में दी जायेगी तथा निविदा सूचना की सूक्ष्म विज्ञापित 02 लीडिंग समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करायी जायेगी। इस हेतु नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में सम्बन्धित संभाग के संभागीय उप निदेशक (प्रशा0/विप0) उत्तरदायी होंगे।
23. संभागीय उपनिदेशक (प्रशा0/विप0), द्वारा तकनीकी (Technical Bid) एवं वित्तीय (Financial Bid) बिड मांगी जायेगी। टेण्डर के शर्तों के अनुसार अर्हता पूर्ण करने वाले निविदा की तकनीकी (Technical Bid) प्रपत्रों की परीक्षण संलग्न चेक लिस्ट के अनुसार किया जायेगा। निविदादाता को अर्हता से सम्बन्धित समस्त अभिलेख अपलोड/शपथ-पत्र अपलोड करने होंगे तथा बी0ओ0क्यू0 (BOQ) के माध्यम से वित्तीय बिड (Financial Bid) बिड अंकित की जायेगी। Technical Bid में निर्धारित अर्हतायें पूर्ण करने पर ही Financial Bid पर विचार किया जायेगा। निविदा में निविदाकर्ता एवं निविदादाता द्वारा सी0वी0सी0 (CVC) की गाइडलाइन एवं प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (Procurement Manual) का पूर्ण पालन किया जायेगा।
24. उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) मण्डी परिषद गोरखपुर द्वारा निविदादाताओं के साथ अनिवार्य रूप से प्री-बिड बैठक कर, उन्हें निविदा/निविदा शर्तों आदि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी दी जायेगी एवं उनकी पृच्छाओं को निराकरण किया जायेगा तथा नये ठेकेदारों को निविदा में प्रतिभाग करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा तथा निविदा में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा करायी जायेगी।

25. ठेकेदार को प्रदत्त ठेका संभागीय उप निदेशक (प्रशा0/विप0) मण्डी परिषद गोरखपुर द्वारा निलम्बित/निरस्त किया जा सकता है। ठेका निरस्त करने के आदेश करने के पूर्व ठेकेदार को कारण बताओं नोटिस देते हुए सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जायेगा।
26. हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेके के कार्य हेतु कार्य आवंटन आदेश सक्षम स्तर से निर्गत होने के उपरान्त विलम्बतम 15 दिन के अन्दर नियुक्त हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदार को समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर योगदान कर कार्य प्रारम्भ करना होगा, अन्यथा सम्बन्धित ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।


(S.O)

शपथ पत्र

(रु0 10/- के नान जुडीशियल स्टैम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित)

मैं, शपथी/शपथिनी पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
 उम्र वर्ष निवासी-.....
 शपथपूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ -

- 1- यह कि शपथी/शपथिनी खाद्य आयुक्त के आदेश संख्या मु0अ0 34/29-6-2021-85 सा/2017 दिनांक 09.03.2021 एवं शासनादेश संख्या-878/29-6-2021-85 सा/17 दिनांक 14.06.2021 व 1555/29-6-2021 दिनांक 03.09.2021 द्वारा निर्गत तथा परिवहन एवं हैण्डलिंग ठेकेदारों हेतु निर्धारित समस्त शर्तों को पूरा करता है।
- 2- यह कि शपथी/शपथिनी स्वयं/पार्टनरशिप फर्म/अथवा कम्पनी के रूप में कम से कम स्वयं के व अनुबन्ध के ट्रकों एवं वाणिज्यिक कार्य हेतु पंजीकृत छोटे वाहनों स्वयं के व अनुबन्ध के का स्वामित्व रखता/रखती है तथा शपथी/शपथिनी द्वारा इस संबंध में निहित शर्तों को पूर्ण करने का शपथपत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
- 3- यह कि शपथी/शपथिनी द्वारा आधार नम्बर, अनुभव प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण-पत्र, आयकर विवरणी (विगत 03 वर्षों का आयकर रिटर्न, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एण्ड लॉस एकाउन्ट एवं शिड्यूल, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (जहाँ लागू हो) एवं कम्पनी की दशा में आर0ओ0सी0 रिटर्न), पैन, ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0, जी0एस0टी0 के संबंध में आवश्यक तथा विधिमाम्य अभिलेखों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया है।
- 4- यह कि शपथी/शपथिनी द्वारा स्वयं/फर्म के एकल स्वामित्व/भागीदारों/कम्पनी के प्रबंध निदेशक तथा अधिकृत प्रतिनिधियों के स्थायी निवास तथा वर्तमान निवास का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया है, जो जिलाधिकारी के द्वारा निर्गत है एवं आवेदन की तिथि को वैध है/शासन द्वारा अनुमन्य अवधि से पुराना नहीं है।
- 5- यह कि शपथी/शपथिनी द्वारा शासनादेश/प्राविधानों के अन्तर्गत कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक तथा अधिकृत व्यक्ति व फर्म के सभी साझीदारों तथा एक स्वामी एवं व्यक्ति के जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है, जो आवेदन की तिथि को वैध/शासन द्वारा अनुमन्य अवधि से अधिक पुराना नहीं है।
- 6- यह कि यदि शपथी/शपथिनी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों/प्रमाण पत्रों में कोई विसंगति संज्ञान में आती है या किसी भी समय कोई ऐसा तथ्य या विवरण का छिपाया जाना प्रकाश में आता है, तो उसका अभ्यर्थन/टेण्डर/ठेका निरस्त कर दिया जाये, जिसमें मुझे/हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 7- यह कि आवेदक/शपथी/शपथिनी/व्यक्ति/भागीदार/निदेशक/फर्म/कम्पनी टेण्डर हेतु निर्धारित समस्त शर्तों को पूर्ण करता/करती है, जिसके गलत होने अथवा पूर्ण न होने पर अभ्यर्थन/टेण्डर/ठेका निरस्त कर दिया जाये, जिसमें मुझे/हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 8- यह कि मैं/हम यह भी प्रमाणित करते/करता/करती हूँ कि मेरे/फर्म/कम्पनी कहीं भी ब्लैक लिस्ट नहीं है एवं और न ही मेरे/फर्म/कम्पनी/उसके किसी भी पार्टनर के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई विधिक कार्यवाही प्रचलन में है। यदि कहीं भी ऐसा पाया जाता है, तो अभ्यर्थन/टेण्डर/ठेका निरस्त कर दिया जाये, जिसमें मुझे/हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 9- यह कि मैं/हम यह भी प्रमाणित करते/करती हूँ कि ठेका स्वीकृति होने के उपरान्त विभाग द्वारा प्रदत्त ठेके को मेरे/हमारे द्वारा निष्ठापूर्वक सम्पादित किया जायेगा तथा विभाग में नियमानुसार अनुबन्ध एवं प्रतिभूति आदि की समस्त वांछित औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त ही कार्य सम्पादित किया जायेगा। मेरे/हमारे द्वारा ऐसा न करने पर ठेका निरस्त करने का पूर्ण अधिकार विभाग को होगा, जिसपर मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 10- यह कि मैं/हम यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि टेण्डर का कार्य मुझे/हमें आवंटित होने पर उसे किसी भी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को सबलेट नहीं किया जायेगा।

- 11- यह कि मैं/हम प्रमाणित करता/करती हूँ कि निविदा प्रपत्र में अंकित वाहनों के संचालन हेतु समस्त प्रकार के कर जमा है तथा लाइसेन्स/अन्य अभिलेख समक्ष प्राधिकारी से प्राप्त है।
- 12- यह कि मैं/हम यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे कार्य आवंटन सक्षम स्तर से प्राप्त होने के उपरान्त विलम्बतम 15 दिन के अन्दर समस्त औपचारिकायें पूर्ण कर कार्य प्रारम्भ कर दूंगा/दूंगी।
- 13- यह कि मैं/हम प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे/हमारे द्वारा टेण्डर में सी0वी0सी0 गाइडलाइनों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।

सत्यापन


मैं शपथी/शपथिनी उपरोक्त सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त शपथ-पत्र की धारा-1 से 13 मेरे निजी ज्ञान व विश्वास से सत्य व सही है, जिसे मैंने आज दिनांक को अपने हस्ताक्षर से तस्दीक किया।

दिनांक :-

शपथी/शपथिनी

स्थान :-

नोट:- आवेदनकर्ता फर्म/कम्पनी होने की स्थिति में उसके समस्त भागीदारों/निदेशक/अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा अलग-अलग शपथपत्र प्रस्तुत किया जायेगा।


(S.O)

भाग-01

निविदा प्रपत्र (4) (F)

FINANCIAL BID

Tender Inviting Authority: RAJYA KRISHI UTPADAN MANDI PARISHAD GORAKHPUR DIVISION GORAKHPUR

Name of the Purchase Center:	Name of The Firm/Bidder
कम० सं०	गोहूँ क्रय कर्त्यों पर हैण्डलिंग कार्य हेतु
	निविदा की दर एस0ओ0आर0 के सापेक्ष (दरें दरसमलव (इसीमल) के दो अंको तक अंकित की जायेंगी)
	कम दर पर (प्रतिशत में)
	अधिक दर पर (प्रतिशत में)
	अंको में
	शब्दों में
	अंको में
	शब्दों में

आवेदक का नाम-

मने / हमने निविदा को शते को भली भांति पढ़कर समझ लिया है और मे / हम इनको स्वीकार करते हुए निविदा दे रहा हूँ / रही हूँ / दे रहे हैं ।

नोट:- यदि अंकित दरों में प्रतिशत, अंको एवं शब्दों की धनराशि में भिन्नता होती है, तो न्यूनतम दर वाली धनराशि मान्य होगी ।